स्टूडेंट्स का केवी के फैसलों में रोल अहम

स्कूलों में बनेगी स्टूडेंट्स काउंसिल

भूपेंद्र ॥ नई दिल्ली

केंद्रीय विद्यालयों के फैसलों में अब वहां के स्टूडेंट्स का रोल भी अहम होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल बनाने का फैसला किया है। काउंसिल में स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन समेत 62 स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं। संगठन का कहना है कि स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वॉलिटी डिवेलप करने के लिए स्टूडेंट्स काउंसिल बनाने का फैसला लिया गया है व इसके तहत स्टूडेंट्स को बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उन्हें स्कूल की कार्यप्रणाली में एक्टिव पार्टनर बनने का मौका मिलेगा और स्कूल अथॉरिटी को काउंसिल के फैसले को गंभीरता से लेना होगा।

'केंद्रीय विद्यालय संगठन के जॉइंट कमिश्नर (ऐकडेमिक) डॉ. सचिकांत की ओर से सभी असिस्टेंट कमिश्नर के नाम जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि स्टूडेंट्स काउंसिल गठन के फैसले को लागू करवाया जाए। सर्कुलर में कहा गया है कि स्टूडेंट्स काउंसिल टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उनकी जो भी समस्या होगी, उसे स्कूल प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच मुहैया करवाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की भी जवाबदेही तय की गई है।' [illegible]य विद्यालयों में लोकतांत्रिक तरी[illegible] से कामकाज चलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सेशन 2010-11 के लिए 15 सितंबर तक काउंसिल के गठन का आदेश दिया गया है। हालांकि संगठन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर काउंसिल अपनी पावर का मिसयूज करती है, तो प्रिंसिपल को इसे भंग करने का अधिकार भी है।

काउंसिल क्यों?

- स्टूडेंट्स में लीडरशिप डिवेलप करने और उन्हें स्कूल के फैसलों में भागीदार बनाने के लिए ऐसा किया गया है
- काउंसिल में स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन समेत 62 स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं

दिल्ली रीजनल ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि स्कूल से जुड़े जितने भी फैसले हैं, उनमें स्टूडेंट्स की राय ली जाएगी। मसलन स्कूल के खर्चे, लाइब्रेरी में कौन सी किताबों की जरूरत है, एडमिशन प्रोसेस में किस तरह से सुधार की जरूरत है, हर तरह के फैसलों में स्टूडेंट्स की राय को महत्व देना होगा। यह सब स्कूलों में लोकतांत्रिक परंपरा को बढ़ावा देने के मकसद से किया जा रहा है। स्टूडेंट्स काउंसिल के गठन के बाद इसके मेंबर्स को शपथ भी दिलवाई जाएगी। महीने में एक बार काउंसिल की मीटिंग होगी। मीटिंग के अजेंडे में स्टूडेंट्स की समस्याएं, सुझाव शामिल होंगे। मीटिंग के मिनट्स को रेकॉर्ड किया जाएगा और उस पर स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल के साइन भी होंगे। स्कूल रजिस्टर में ये मिनट्स रेकॉर्ड किए जाएंगे।